

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,” समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 01.02.2025

निर्माणाधीन पेट्रोल पंप किया सील 8 बीघे की प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडिए की ओर से शुक्रवार को एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप सील किया गया। इसके साथ ही 8 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार रामनगर के रसूलागंज अदलहाट के अनुपम सिंह, शैलेंद्र सिंह की ओर से बगैर नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप का निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। भीटी, शंकर नगर कॉलोनी के बाबू लाल सिंह की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। खजूरगांव के डिंपू सिंह की ओर से 8 बीघे की अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसे पुलिस बल से के सहयोग से ध्वस्त किया गया। दुर्गाकुंड में अभय

चार अवैध निर्माण सील

वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की देखरेख में शुक्रवार को अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। शिवपुर वार्ड में बीना त्रिपाठी की ओर से शीतल नगर कॉलोनी में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील किया गया। सारनाथ, हृदयपुर, सिंहपुर में अरुण कुमार वर्मा को पूर्व में नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी काम कराने पर अवैध निर्माण सील कर दिया गया। मां वैष्णों कुटुम्ब विहार कॉलोनी, हृदयपुर, सिंहपुर में नीरज राय और राम बहादुर राय की ओर से बगैर नक्शा पास कराने निर्माण करने पर सील किया गया।

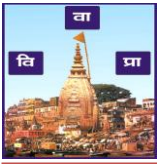
सिंह की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे सील किया गया। ब्यूरो

अमर उजाला—दि0 01.02.2025

सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी विदाई

वाराणसी। वीडिए सभागार में शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी इंद्रमणि पांडेय को विदाई दी गई। वीडिए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने कर्मचारी के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर वीडिए के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव परमानन्द यादव, अध्यक्ष प्रमोद तिवारी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

दैनिक जागरण—दि० 01.02.2025

पूरे शहर में वीडिए ने अवैध निर्माण को किए सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कालम का निर्माण सील किया शहर में बिना मानचित्र के बन रहे गया। वार्ड-शिवपुर में शीतल नगर मकानों के खिलाफ विकास कालोनी में बना त्रिपाठी के प्राधिकरण की टीम ने धुआंधार मकान को सील किया गया। कार्रवाई की। टीम ने पांच निर्माण को सील किया। साथ ही आठ बोचा की प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के आदेश पर जोन-2, वार्ड-सारनाथ में हृदयपुर, सिंहपुर में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। वहां अरुण कुमार वर्मा 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में जी 1 तलों का निर्माण कर फिनिशिंग कर रहे थे। पूर्व में नोटिस के बावजूद निर्माण हो रहा था। मां वैष्णो कुटुंब विहार कालोनी, हृदयपुर में नीरज राय और राम वहादुर राय भूतल पर



वार्ड-रामनगर, मौजा रसूलागंज, में अनुपम सिंह व शैलेंद्र सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पेट्रोल पंप का अवैध निर्माण कराया जा रहा था। नोटिस के

बाद भी नहीं मानने पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। भीटी में शंकर नगर कालोनी में बाबू लाल सिंह के निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। भेलूपुर में अभय सिंह के अनाधिकृत निर्माण पर सील की कार्रवाई की गई। खजूरगांव में डिम्पू सिंह द्वारा लगभग आठ बोचा में अवैध प्लानिंग ध्वस्त किया गया।

हिन्दुस्तान—दि० 01.02.2025

अवैध प्लानिंग को वीडिए ने ढहाया

पीडीडीयू नगर, वरिष्ठ संवाददाता। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध कालोनाइजरो के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के खजूरगांव के सिवान में आठ बोचा जमीन पर हो रही अवैध प्लानिंग को जमींदोज करा दिया। वहीं कालोनाइजरो के कार्यालयों को जेसीबी से ढहा दिया गया। जबकि रसूलागंज में वीडिए टीम ने निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इससे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वीडिए

- टीम ने एनएच 44 पर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया
- अवैध कालोनाइजरो के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से मचा हड़कंप

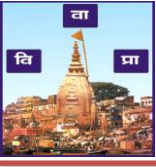
के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक कुमार यादव टीम के साथ मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के खजूरगांव के सिवान में डिम्पू सिंह की विकसित हो रही अवैध कालोनी में पहुंचे। यहां बने प्लॉटों की बार्डर्री वाल

को भी जमींदोज किया गया। उक्त के बाबत बीते चार अक्टूबर को नोटिस दी गई थी। इसकी सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई थी। लेकिन सुनवाई पर प्लॉटर मौजूद नहीं हुआ था। उसके बाद टीम मिल्कीपुर से सटे मिर्जापुर जिले के रसूलागंज पहुंची। जहां अनुपम सिंह और शैलेंद्र सिंह के एनएच 44 पर बन रहे पेट्रोल पंप को सील कर दिया। जबकि भीटी में बाबूलाल के निर्माणाधीन दो मंजिला मकान को भी सील किया गया। जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि उक्त कालोनीयां बिना नक्शा और लेआउट पास कराए बनी थीं।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

हिन्दुस्तान-दि० 01.02.2025

पेट्रोल पंप समेत 5 अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडिए ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। दुर्गाकुंड में बिना नक्शा पास कराए बन रहा भवन सील किया। रामनगर के रसूलागंज में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पेट्रोल पंप निर्माण पर सीलिंग की गई। यहीं भीटी की शंकरनगर एवं शिवपुर में शीतलनगर कॉलोनी में दो मंजिला भवन सील किया गया। सारनाथ में हृदयपुर और सिंहपुर में दो अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मां वैष्णो कुटुम्ब बिहार कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन सील किया गया।

राष्ट्रीय सहारा-दि० 01.02.2025

वीडीए ने कई अवैध निर्माणों को किया सील

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जोन-चार के अंतर्गत सील की कार्यवाही की गई। सील के दौरान, जोन-चार के अंतर्गत अभय सिंह द्वारा दुर्गाकुंड वार्ड भेलपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण पर नोटिस की कार्यवाही की गई थी। पक्ष द्वारा रात्रि में चोरी छिपे किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जोन-चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के फोल्ड स्टॉफ आदि को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त आवंटित क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत गतिमान निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाते हुए नियमानुसार जांच कर अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

वहीं दूसरी तरफ वीडिए जोन दो की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत हृदयपुर, सिंहपुर में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। वार्ड-सारनाथ, हृदयपुर, सिंहपुर के अंतर्गत अरुण कुमार वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में जी+1

वीडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी। वीडिए जोन पांच की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वंसायन कार्य की कार्यवाही की। वार्ड-रामनगर, मौजा-खजूरागंज के अंतर्गत डिम्पू सिंह द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग आठ बीघा में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी जिसे प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

तलों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था जिस पर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखने पर स्थल को सील किया गया। जोन एक में वार्ड-शिवपुर की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। शिवपुर के अंतर्गत बीना त्रिपाठी द्वारा शीतल नगर कॉलोनी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+1 का अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे सील किया गया। जोन-पांच वार्ड-रामनगर के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गयी। रामनगर वार्ड के मौजा रसूलागंज, थाना-अदलहाट के अंतर्गत अनुपम सिंह व शैलेन्द्र सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पेट्रोल पंप का

अवैध निर्माण किया जा रहा था जिस पर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने के लिए पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। लेकिन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। जिस पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। वहीं वार्ड-रामनगर, मौजा-भीटी, शंकर नगर कालोनी के अंतर्गत बाबू लाल सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा जिस पर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने के लिए पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। इसके बाद भी मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया, जिस पर अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।

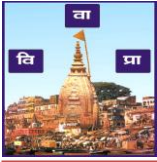


: vcvdavns



Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि० 01.02.2025

वीडीए जोन - 1 की टीम ने की दो अवैध निर्माणों की सीलबन्दी



वाराणसी। उपाध्यक्ष वीडिए द्वारा निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही प्रदत्त निर्देश के क्रम में अपर सचिव सम्पादित की गयी। वार्ड- शिवपुर की उपस्थिति में वाराणसी विकास के अन्तर्गत बीना त्रिपाठी द्वारा शीतल प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1, वार्ड- नगर कॉलोनी में बिना मानचित्र शिवपुर की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध स्वीकृत कराए बीहजीह का अवैध

निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 31/01/2025 को 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र और अभियंता विजय सिंह उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश—दि० 01.02.2025

वाविगा ने की 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही



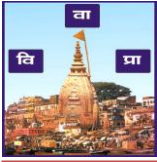
वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविगा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-2 वार्ड- सारनाथ के अंतर्गत हृदयपुर सिंहपुर में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। इस के तहत वार्ड- सारनाथ हृदयपुर सिंहपुर के अन्तर्गत अरूण कुमार वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में जी.1 तलों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था जिसपर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखने पर स्थल को 31 जनवरी को सील किया गया। वार्ड- सारनाथ मौ. वैष्णो कुटुम्ब विहार कालोनी हृदयपुर सिंहपुर के अन्तर्गत 'नीरज राय और राम बहादुर राय' द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 850 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर कालम का निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसे आज दिनांक 31/01/2025 को सील किया गया। मौके पर उपस्थित देवचंद राम

जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार एवं अवर अभियंता वर्तिका दुबे प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष वाविगा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले.आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।



: vcvdavns f: Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

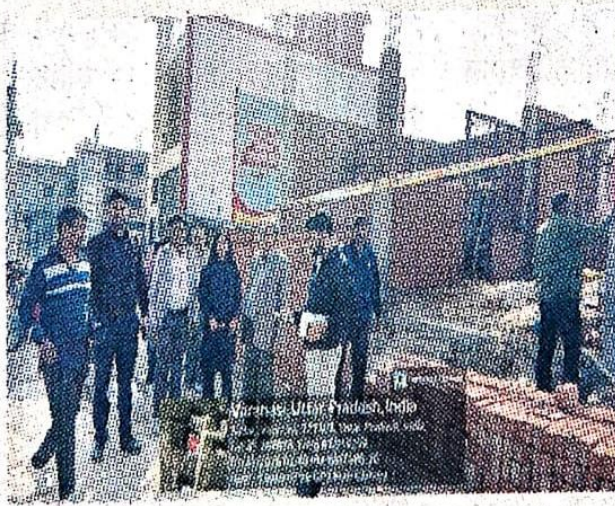
राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि0 01.02.2025

जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत हृदयपुर, सिंहपुर में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सारनाथ, हृदयपुर, सिंहपुर के अन्तर्गत अरूण कुमार वर्मा द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 900 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में जी+1 तलों का निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था जिसपर पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा कार्य निरंतर जारी रखने पर स्थल को आज दिनांक 31/01/2025 को सील किया गया। वार्ड-सारनाथ, माँ वैष्णों कुटुम्ब



विहार कालोनी, हृदयपुर, सिंहपुर के अन्तर्गत नीरज राय और राम बहादुर राय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 850 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में भूतल पर कालम का निर्माण कार्य किया जा रहा

था, जिसे शुक्रवार को सील किया गया। मौके पर उपसचिव देवचंद राम, जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार एवं अवर अभियंता वर्तिका दुबे प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

